संख्या-90/11-क0नि0-7-500(41)/2011

प्रेषक

बी0एम0मीना,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिरीक्षक निबन्धन
उत्तर प्रदेश, शिविर लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-7 लखनऊः दिनांक 12 फरवरी,2014

विषयः- स्थावर सम्पत्ति से सम्बन्धित विलेखों की सही प्रतियों के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा-51(2) के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या1413/11-क0नि0-7/ 2013-500(41)/11 दिनांक 17 जनवरी 2014 एवं तत्क्रम में जारी शासन के पत्र संख्या76/11-क0नि0-7/2014-500(41)/11 दिनांक 29 जनवरी 2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा परिपत्र संख्या1038/टी0ए0सी0-2013 दिनांक 03 जुलाई 2013 को वापस लेने तथा कृत कार्यवाही से अवगत नही कराया गया है।

2- न्याय विभाग द्वारा व्यक्त अभिमत तथा आपके पत्र दिनांक 03 अक्टूबर 2013 पर आहूत बैठक दिनांक21.11.2013 में निकाले गये निष्कर्ष से यह स्पष्ट है कि परिपत्र दिनांक 03 जुलाई 2013 विधिक रूप से पुष्ट नही है और इस कारण जन सामान्य को प्राप्त अधिकारों का हनन हो रहा है।

3- उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिपत्र संख्या1038/टी0ए0सी0-2013 दिनांक 03.07.2013 विधिक रूप से पुष्ट नही है। अतः परिपत्र दिनांक 03.07.2013 एत्दद्वारा निरस्त किया जाता है।

भवदीय
ह0/-
(बी0एम0मीना)
प्रमुख सचिव।

संख्याः दिनांक-तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(बी0एम0मीना)
प्रमुख सचिव।